IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पर्यावरण नीति : राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों

डा. संगीता माथुर

एसोसिएट प्रोफेसर

स्कूल ऑफ आर्टस एण्ड ह्यूमेनिटीज

कैरियर पाइंट यूनिवर्सिटी, कोटा

पर्यावरण नीति कानूनों, नियमों द्वारा पर्यावरण के मुद्दों हेतु एक संगठन की प्रतिबद्धता को संदर्भित करती है। ये मुद्दे सामान्यतया वायु, जल, ठोसकचरा प्रबंधन, जैवविविधता, पारिस्थितिकीतन्त्र प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वन्यजीव और लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को वर्तमान समय में एक परम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वैश्विक उद्देश्य कहा जा सकता है, अतः इस हेतु राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किये जा रहे हैं।

पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के Environer शब्द से बना है जिसका अभिप्राय समस्त पारिस्थितिकी अथवा परिवृत्ति से होता है। इसके अन्तर्गत सभी स्थितियों, परिस्थितियों, दशाएँ तथा प्रभाव जो कि जैव अथवा जैमिकीय समूह पर है, सम्मिलित है। पर्यावरण वह परिवृति है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसके जीवन विकास को प्रभावित करती है। पर्यावरण को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि

- पर्यावरण भौतिक तथा जैविक तत्वों का समूह है।
- पर्यावरण में परिवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर होती रहती है।
- पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता पायी जाती है।
- पर्यावरण का प्रभाव सभी प्राणीयों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पड़ता है।[1]
- पर्यावरण संसाधनो का भण्डार है।
- पर्यावरण जीवधारियों का निवास क्षेत्र है।
- पर्यावरण में भौतिक तत्व अपार शक्ति के भण्डार है। पर्यावरण स्वयं पूर्ति तथा स्वनियन्त्रित प्रणाली पर आधारित होता है।

- पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है।

(प्राकृतिक साधनो के गैर सैद्धान्तिक प्रयोग, औद्योगीकरण, शहरीकरण, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक तत्वों का अनुकूलतम सीमा से अधिक विदोहन करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया है, इससे प्रकृति को गंभीर क्षति पहुची हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों उत्पन्न हुई है। इस प्रदूषण के कारण न केवल मानव बल्कि सम्पूर्ण जैव जगत के समक्ष अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्यावरणीय प्रदूषण कई प्रकार के हैं, जैसे

- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण भूमि प्रदूषण
- विषैले रसायन प्रदूषण
- समुद्री प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण
- जैविक प्रदूषण
- इलेक्ट्रानिक प्रदूषण आदि ।

(प्रदूषण की समस्याओं के समाधान हेतु एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा जो नियम अधिनियम बनाए , उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है

वन संरक्षण अधिनियम 1980

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना है। आरक्षित या अनारक्षित वन क्षेत्र की भूमि को अन्य दूसरे कार्यों में उपयोग हेतु केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति आवश्यक है। इसमें यह व्यवस्था भी है कि यदि किसी सार्थक कारण से वन क्षेत्र की भूमि को दूसरे प्रयोजनार्थ काम में लिया जाता है तो जितनी संख्या में वनो की कटाई की गई है उससे दुगुनी संख्या में वृक्षो का रोपण किया जाये।[2]

पर्यावरण सुरक्षा परिषदों का गठन

अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण से सम्बन्धित सुझाव देने हेतु 14 राज्यों व केन्द्र प्रशासित क्षेत्रो में इनका गठन किया गया। इसके अन्तर्गत विधायक वैज्ञानिक प्रशासनिक, समाजसेवी, शिक्षाविद जैसे लोग सदस्य होते है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1966

इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नवत है

1. पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण एवं नियन्त्रण हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन ।
2. पर्यावरण गुणवत्ता का परिमाप निर्धारण
3. विभिन्न चोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों का स्तर निर्धारित करना।
4. ऐसे कल कारखानों को प्रतिबन्धित करना जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे है।
5. पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु सुरक्षात्मक नियम निर्धारित करना ।

6. समय समय पर कल कारखानों द्वारा अपनाये गये प्रदूषक नियन्त्रक उपकरणों की जाँच करना।
7. विविध समस्याओं पर शोध आयोजित करवाना।
8. पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए नियम कानून, आचार संहिता निर्धारित करना।[3]

जल सुरक्षा और प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम

केवल Bio degradable प्रदूषक ही जल प्रदूषण के लिये जिम्मेदार नहीं होते बल्कि घात्विक पदार्थ, खनिज तेल, प्लास्टिक के पदार्थ, सामान कूड़ा करकट मल मूत्र, आदि त्याज्य पदार्थ जो जल में फेंक दिये जाते हैं जल को प्रदूषित करते हैं। अतः ऐसे प्रदूषकों का नियन्त्रण एवं प्रबन्धन आवश्यक हैं। इसी हेतु भारत में केन्द्रीय जल नियन्त्रण अधिनियम लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदूषित जल को नदी या किसी झील आदि में प्रवाहित करना कानूनी अपराध है। इनमें जल प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1974, नदी बोर्ड एक्ट 1956, मर्चेन्ट नेवी एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंन्शन एण्ड कण्ट्रोल ऑफ पाल्यूशन एक्ट, 1977 विशेष रूप से उल्लेखनीय है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे तटीय स्थित उद्योगों को बन्द करने का आदेश दिया है जो जल में प्रदूषण फेला रहे हैं।[4]

वायु और जल संशोधित अधिनियम 1987

यह अधिनियम 1981 में बना व 1987 में संशोधित किया गया इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो वायु प्रदूषण फेला रहीं है उनके प्रति कठोर नियम बनाकर कार्यवाही करना है। इस संशोधन में शोर को भी सम्मिलित कर लिया गया है।[5]

"राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006

इस नीति का उद्देश्य है कि अच्छे जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है, इस हेतु संसाधनों का क्षरण रोकना होना, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहकारी संस्थाओ, स्थानीय समुदायों, शिक्षा, वैज्ञानिक संस्थाओं व अन्तराष्ट्रीय सहयोग को पुष्ट किया जाये।[6]

राष्ट्रीय हरित न्यायालय का गठन

पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक राष्ट्रीय हरित न्यायालय अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आ गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में तथा इसकी चार पीठे अन्य शहरों में स्थापित की गई है। यह पर्यावरण संबंधी समस्त मामलों को देखेगा।[7]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

मानवीय पर्यावरण पर स्टाकहोम सम्मेलन, 1972

- विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक

ई. एल. सी. आई. की ए. सी. की बैठक मार्च, 1997

, जलवायु परिवर्तन पर क्योटो बैठक –

जलवायु परिवर्तन पर ब्यूरिस एरिस बैठक- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूप-रेखा सम्मेलन की चौथी कापस नवम्बर 1998 में ब्युनिस एरिस अर्जेन्टाइना में हुई। इस कॉफेंस के सामने मुख्य मुद्दा था 1997 के क्योटो प्रोटोकोल को लागू किया जाना।

डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2011

उपर्युक्त नीतियों के बावजूद अनेक वैश्विक व राष्ट्रीय चुनौतियों है, जैसेकि

• जीवाश्म ईंधन का हास- जीवाश्म ईंधन जैविक पदार्थों के दबे हुए उन ज्वलनशील भूमिगत निक्षेपों के लिये प्रयोग की गई सामान्य शब्दावली हैं, जो करोड़ो वर्षों की प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की सतह में मृत पौधो और प्राणियों के सड़े गले अवशेषो के ताप और दबाव के संपर्क में आने से कच्चे तेल कोयले प्राकृतिक गैस अथवा भारी तेल में परिवर्तित हो गये हैं। जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता ने बढे पैमाने पर औद्योगिक विकास में सहायता दी हैं। मनुष्य द्वारा जीवाश्म ईंधन का अन्धाधुन्ध प्रयोग शुरू कर दिया इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है तथा जिस चीज की आवश्यकता हमें देश के विकास के लिए है, वो भी समाप्त हो रही है।

• ग्लोबल वार्मिंग समकालीन दशकों में सतत रूप से पृथ्वी के वातावरण और महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि हुई हैं, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते है। ग्लोबल वार्मिंग से हिमानियों और ध्रुवियबर्फ की चादरों के पिघलने से और ऊष्मा के विस्तार द्वारा समुद्री जलस्तर के बढ़ने का सबसे अधिक खतरा है जिसका असर तटीय विकास यातायात इन्फ्रास्टक्चर और पर्यटन पर पड़ता है। साथ ही गर्मी का प्रभाव फसलों पर भी होता है एवं सूखे की संभावना बढ़ जाती हैं।
जैव विविधता को खतरा जैव विविधता हमारी धरती पर पाए जरने वाले जीवों और पारिस्थितिक समूहों के रूप में दिखाई देती हैं। इसके अन्तर्गत स्थलीय समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तन्त्रों के साथ साथ उन पारिस्थितिक विषमताओं को भी शामिल किया जाता है जिसका वे भाग है। पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के कारण पौधो व जीव जन्तुओं की प्रजातियां लुप्त हो गई या लुप्त होने के कगार पर है। जैव विविधता को क्षति पहुँचाने वाले कारको में शामिल हैं- जनसंख्या का दबाव, दनों का कटाव, प्रदूषण (वायु, जल व मिट्टी का प्रदूषित होना) तथा ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन जिसका कारण मानवीय क्रियायें हैं। ये सभी कारक बढ़ती आबादी का परिणाम है जो जैव विविधता पर सामूहिक प्रभाव डाल रहे हैं।[8]

निष्कर्षात्मक अवलोकन करते हुए कहा जा सकता है कि मानव जाति जिसकी पर्यावरण में कभी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसने कुछ वर्षों में प्रकृति को प्रभावी रूप से विनाश की सीमा तक पहुंचों दिया है। यह उस सामाजिक आर्थिक और तकनीकी व्यवस्था के विकास के कारण संभव हुआ है, जिसने पिछले 200 300 वर्षों में समाज को पर्यावरण के अन्य तत्वों के साथ संबंधों में बड़े बड़े परिवर्तन करने का अवसर दिया है। निश्चय ही मनुष्य ने अनेक प्रकार से स्वयं को इस पर्यावरण का अभिन्न भाग नहीं समझा। इसी अलगाव ने पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। पर्यावरण शास्त्रियों का मानना है कि इस स्थिति में सुधार केवल तभी हो सकता है, जब मनुष्य एक बार फिर से स्वयं को इस

प्राकृतिक पर्यावरण का अभिन्न अंग समझना शुरू का दें.व इसके विकल्पो और समाधानों की खोज में भाग लेना होगा। विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासो के साथ ही हमें कुछ सामाजिक विकल्पों की खोज करने की आवश्यकता है,जिससे कि पर्यावरणीय अधोगति को न्यूनतम किया जा सकें।

1. विकेन्द्रित और प्रादेशिक विकास पर ध्यान केन्द्रित हो जिससेकि खाद्य उत्पादो, उपभोक्ता वस्तुओं, खनिजों और औद्योगिक माल का परिवहन करने में ज्यादा दूरी न तय करनी पढे 2 दैनिक विनिमय को कम करने के लिए घर कार्यस्थल के निकट होना चाहिए।

3. मकान निर्माण में ऊर्जा क्षमता का ध्यान रखा जाए कि गर्मी व ठण्डक हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता हो

4 निर्मित वस्तुओं की जीवन रेखा लम्बी हो, जिससे की उन्हें बार बार बदलना न पड़े। LA.Se & How Com change mini 21 nv उपर्युक्त सामाजिक विकल्प राष्ट्रीय व वैश्विक नीतियों को यदि दृढ इच्छा शक्ति से लागू किया जाये तो हम पर्यावरण क्षरण को तो रोक ही लेंगें, साथ ही भविष्य में हम पर्यावरण सुधार की ओर भी बढ़ जायेंगें।

References

1. https://hi.wikipedia.org/wiki/पर्यावरणीय_नीति
2. https://hindi.indiawaterportal.org/content/vana-sanrakasana...
3. www.latestlaws.com/bare-acts/hindi-acts/70/
4. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (iasnotes.co.in)
5. https://hi.vikaspedia.in/rural-energy/environment/92a94d...
6. https://www.hindinotes.org/2019/01/राष्ट्रीय-पर्यावरण
7. https://hi.wikipedia.org/wiki/राष्ट्रीय_हरित. .
8. https://hi.wikipedia.org/wiki/जलवायु_परिवर्तन. . .